

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 21, सोमवार, शाके 1948- मई 11, 2026 Vaisakha 21, Monday, Saka 1948- May 11, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्थान वित्त निगम

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 04, 2026

संख्या आरएफसी/एफपीए-23(5): दी स्टेट फाईनेन्सियल कारपोरेशन्स एक्ट, 1951 (63 ऑफ 1951) की धारा 23 सपठित धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से विचार विमर्श के पश्चात् तथा राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेकर राजस्थान फाईनेन्सियल कारपोरेशन (पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्प्लोईज) रेग्यूलेशन्स, 1975 के रेग्यूलेशन 7 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के कर्मचारियों को मिलने वाली सेवानिवृत्त व मृतक ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि में निम्न प्रकार से पृथक पृथक संचालक मण्डल की बैठकों में संशोधन करने का निर्णय लिया है:-

1. निगम के आदेश संख्या पीए-23(5)/261 दिनांक 16.05.2018

The maximum amount of Death-cum-Retirement gratuity permissible under Regulation No.7 of Rajasthan Financial Corporation (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1975 is increased from Rs.10.00 lac to Rs.20.00 lac w.e.f. 01.01.2017.

2. निगम के आदेश संख्या पीए-23(5)/1280 दिनांक 04.03.2026

The maximum amount of Death-cum-Retirement gratuity permissible under Regulation No.7 of Rajasthan Financial Corporation (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1975 is increased from Rs.20.00 lac to Rs.25.00 lac w.e.f. 01.04.2024.

आज्ञा से,
पंकज पुरोहित,
सचिव।

1639

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।